FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत ---**उपखण्ड अधिकारी** ---- मुकाम ----- **धौलपुर** -----

ममता ------------- बनाम ---- राज्य सरकार

किस्म मुकदमां -136 LRA -- नम्बर ----60---- सन् --2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुये
01.12.17	प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 एलआरए / 88 आरटीए पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीया को सुना गया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का कथन है कि उसके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 795/1 रकवा 12 विश्वा ग्राम मनियां तहसील धौलपुर को जरिये वयनामा क्रय किया था। उक्त वयनामा के आधार पर नामान्तकरण करते समय गलत अंकन करते हुए पूर्ण हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा अंकित कर दिया जिसके कारण जमावन्दी में भी उसका 1/2 हिस्सा अंकित हो गया है। प्रार्थीया ने निवेदन किया है कि विक्रेताओं के द्वारा इस अंकन को सही कराने में अपनी सहमति दी है, अतः उक्त अंकन को सही किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 795/1 के पूर्ण हिस्से पर प्रार्थिया के नाम का बतौर खातेदार इन्द्राज कराया जावे। पत्रावली में संलग्न छाया प्रति वयनामा तारीखी 16.2.15 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 795/1 रकवा 12 विश्वा का खातेदारान फैली पुत्र रतना, प्रेमसिंह पुत्र सियाराम व मोतीमाला पत्नी सियाराम के द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय ममता पत्नी मुकेश जाति कोली निवासी बहरावती तहसील सैंपऊ को किया गया है। नामान्तकरण संख्या 3342 ग्राम मनियां की छाया प्रति के अनुसार खसरा नम्बर 795 रकवा 1 वीघा 4 विश्वा में विक्रेता फैली, प्रेमसिंह व मोतीमाला के सम्पूर्ण हिस्से के स्थान पर 1/2 भाग को ममता पत्नी मुकेश जाति कोली के नाम अंकित किया गया है। इसी आधार पर जमावन्दी में भी अंकन हो गया है। तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 3.8.17 के अनुसार ग्राम मनियां के खसरा नम्बर 795/1 रकवा 12 विश्वा पर प्रार्थिया का हिस्सा 1/2 के अंकन को गलत बताते हुए उसके स्थान पर सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है। उक्त आराजी के विक्रेता फैली पुत्र रतना, प्रेमसिंह पुत्र सियाराम व मोतीमाला पत्नी सियाराम के द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के अनुसार अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु अपनी सहमति जताते हुए अपने हस्ताक्षर किये गये हैं। प्रार्थना पत्र के साथ दो स्वतंत्र गवाह फेरन सिंह पुत्र पंचम सिंह निवासी वहरावती एवं कन्हैयालाल पुत्र नत्थीलाल निवासी जमालपुर के द्वारा अपना शपथ पत्र पेश कर	2044 6.12.17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुये
	जाहिर किया है कि विक्रेताओं के द्वारा क्रेता ममता पत्नी मुकेश जाति कोली निवासी बहरावती के हक में शुद्धि किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गयी है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि विक्रेतागण फैली पुत्र रतना, प्रेमसिंह पुत्र सियाराम व मोतीमाला पत्नी सियाराम के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 795/1 रकवा 12 विश्वा ग्राम मनियां के अपने सम्पूर्ण भाग का विक्रय क्रेता ममता पत्नी मुकेश निवासी वहरावती के हक में किया गया है और वयनामा के आधार पर नामान्तकरण के समय लिपिकीय त्रुटि से सम्पूर्ण हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्से का अंकन क्रेता के हक में हो गया है। विक्रेतागण ने उक्त अंकन को शुद्ध कर क्रेता का नाम पूर्ण रकवे पर बतौर खातेदार अंकन कराये जाने पर अपनी सहमति जाहिर की है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 795/1 रकवा 12 विश्वा ग्राम मनियां के 1/2 भाग पर फैली पुत्र रतना, प्रेमसिंह पुत्र सियाराम व मोतीमाला पत्नी सियाराम के नाम के हो रहे अंकन को कलमजद कर ममता पत्नी मुकेश जाति कोली निवासी वहरावती तहसील सैंपऊ के नाम का अंकन सम्पूर्ण हिस्से पर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार धौलपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज.)	